नम्बर वक्त... जो इस हुक्म ... तामील में जारी ...

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2022

बउनवान

हेमन्त कुमार आयु 65 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी बामला हाल मुकाम जैन कॉलोनी बारां, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

1. श्रीमति पुष्पा जैन आयु 80 वर्ष पत्नी राजेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी बामला हाल निवासी 201 रोनक धाम अपार्टमेन्ट मकान नं0 59/60 बेकुण्ठ धाम इन्दोर मध्यप्रदेश
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां (रेस्पोडेंट्स)

अपील बनाराजगी इंतकाल नं0 2141 दिनांक 21.03.2022 ग्राम बामला तह0 बारां
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– 1. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री एन. के. सोमानी एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.02.2023

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां राज0

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बामला तह0 बारां में आराजी खसरा नंबर 155 रकबा 1.54 है., 162 रकबा 0.15 है., 165 रकबा 0.35 है., 38 रकबा 1.11 है., 724 रकबा 0.20 है., 733 रकबा 0.16 है., 84 रकबा 2.15 है. कुल किता 7 रकबा 5.66 है. भूमि स्थित है जो इंतकाल नंबर 2132 से अपीलांट के बजाय राजेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवासी बामला के नाम तहसीलदार बारां ने दर्ज की है। राजेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल का दिनांक 24.05.2021 को इन्दोर में देहान्त हो गया। रेस्पो0 क्रम 1 उसकी पत्नी है उसके पक्ष में इन भूमियों का नामान्तकरण इंतकाल क्रमांक 2141 दिनांक 21.03.2022 से दर्ज करने से पूर्व यह भूमि अपीलांट के नाम दर्ज थी क्योंकि पूर्व में इस भूमि के बाबत दो मुकदमे न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां से दिनांक 13.04.2015 को प्रकरण संख्या 179/2013 अपीलांट के पक्ष में डिक्री हुये थे तथा दूसरा मुकदमा दिनांक 13.04.2015 को प्रकरण संख्या 172/2013 बउनवान बादाम बाई बनाम राजेन्द्र कुमार के नाम से डिक्री हुआ था। इन दोनों डिक्रियों से यह दोनों भूमियां अपीलांट के नाम दर्ज हुई थी। इनकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां हुई तथा राजस्व अधिकारी के निर्णय के बाद में वहा से नि... पर प्रकरण रिमाण्ड किये गये जो वर्तमान में न्यायालय उप जिला क... यह भूमि तहसीलदार बारां ने अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अ... /22 से दर्ज की है जो संशोधित निर्णय दिनांक 28.03.2022 जारी करते हुये खसरा नंबर 1738/38 रकबा 0.5... 34 रकबा 0.13 है. कुल किता दो रकबा 0.66 है. को भी मृत...क वसीयत दिनांक 16...1 मृतक राजेन्द्र कुमार के आधार पर रेस्पो0 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जो सर्वथा गलत है। रेस्पो0 ने असल वसीयत पेश नहीं की निर्णय में लिखा हुआ है कि पुष्पा जैन ने नोटेरी वसीयत की फोटोकॉपी के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया वक्त बयान असल वसीयत पेश नहीं की गई ओर

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.14 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

न ही पुष्पा बाई के बयान तहसीलदार ने दर्ज किये। वसीयत दिनांक 16.04.2021 इन्दोर मध्यप्रदेश में लिखना व निष्पादित करना बताया है जबकि भूमि ग्राम बामला तहसील बारां में स्थित है तथा वसीयत में बताई गई भूमि में से एक खसरा नंबर ऐसा भी है जो अपीलांट व मृतक राजेन्द्र के शामलाती खाते में बांट बराबर दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में जो वसीयत की जांच हुई है वह भी अधूरी है। तहसीलदार बारां ने वक्त जांच न तो गवाहान के बयान लिये केवल मात्र एक लक्ष्मीशंकर व एक प्रवीण दो गवाह के बयान दर्ज है जबकि जिसके पक्ष में वसीयत हुई है उसका भी कोई बयान दर्ज नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि पुष्पादेवी कभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। अतः इंतकाल नंबर 2141 दिनांक 21.03.2022 ग्राम बामला निरस्त फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट कम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण अन्तिम बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक राजेन्द्र कुमार की वसीयत दिनांक 16.04.2021 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पो0 कम 1 के नाम दर्ज किया गया है। इस वसीयत की जांच कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। रेस्पो0 कम 1 कभी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। रेस्पो0 कम 1 के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं लिये गये। असल वसीयत भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने उक्त इंतकाल तस्दीक किया है इस कारण प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(1) भू राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम, 1956 पारित किया गया है। अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम, 1956 बाद सुनवाई आदेश पारित किया जाता है तथा इसकी अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय को प्राप्त है। पूर्व में अपीलांट ने घोषणा का वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में पेश कर एकपक्षीय डिक्री पारित करवाई जिसकी अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां का फैसला निरस्त किया। जिसकी पालना हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में पेश किया गया। खातेदार राजेन्द्र कुमार की मृत्यु हो गई रेस्पोडेन्ट कम 1 उसकी पत्नि है। जिसके पक्ष में माननीय न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, इन्दौर म0 प्र0 द्वारा दिनांक 10.01.2022 को [illegible] किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही जर्ये रजिस्टर्ड मुख्तयार आम [illegible] की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.14 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

रिपीटल में [illegible] कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर, के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। इस आराजीयात बाबत रजिस्टर्ड मुख्तयार आम व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं है। वर्तमान में न्यायालय उप

जिला कलक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर, बारां में मुकदमे जैरकार हैं इसकी सूचना भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं दी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट की प्रथम आपत्ति कि यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत Contested होने से इस न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर सिर्फ उनकी सुनवाई कर आदेश दिनांक 10.03.2022 पारित किया है। अतः प्रकरण की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त होना साबित होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत वाद अपीलांट द्वारा पेश किया जिसमें उसे दिनांक 13.04.2015 को विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया गया। जिसे दिनांक 09.06.2015 को संशोधित कर अन्य खसरा नंबरान भी निर्णय में जोडे गये। इसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में होने पर माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2017 से न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 09.06.2015 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि "अपीलांट को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।" इसकी द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निरस्त की गई। वर्तमान में अपीलांट का विवादित भूमि से संबंधित घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है तथा वहां से उनके विवादित भूमि में अधिकार तय होने हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक राजेन्द्र कुमार द्वारा पुष्पा जैन के हक में नोटेरी से तस्दीकशुदा वसीयतनामा के आधार पर विवादित संपत्ति रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें वसीयत के गवाहों के बयान भी लिये गये हैं लेकिन वसीयत ग्रहिता के बयान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिये गये तथा ना ही मूल वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है। साथ ही विवादित आराजीयात से संबंधित घोषणा का वाद भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 273/22 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं पक्षकारान को साक्ष्य का अवसर प्रदान कर, मूल वसीयत न्यायालय में पेश होने पर उसका पूर्ण परीक्षण कर वि[illegible]कि वर्तमान में विवादित आराजीयात से संबंधित घोषणा का वाद भी न्यायालय [illegible] अधिकारी, बारां में विचाराधीन है। अतः उसके निर्णय तक भूमि का [illegible]

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.14 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां